



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर-थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के निकट
देहरादून-248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chavanavog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 79/उ0अ0से0च0आ0/2026

दिनांक: 21 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक, कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा), कैशियर कम सहायक लेखाकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	21 जुलाई, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	26 जुलाई, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	15 अगस्त, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि	18 अगस्त से 20 अगस्त, 2026 तक
लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनन्तिम तिथि	12 अक्टूबर, 2026

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह-‘ग’ के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक, कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा) तथा कैशियर कम-सहायक लेखाकार के कुल 379 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 15 अगस्त, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र के साथ-साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करने तथा ऐसे पद, जिनके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हो, अनुभव प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	पदनाम/विभाग का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	लेखाकार (ब्रिडकुल)	रु0 35,400—रु0 1,12,400 (लेवल-06)	01
2	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0)	रु0 29,800—रु0 94,300 (लेवल-05)	75
3	सहायक लेखाकार (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0)	रु0 29,800—रु0 94,300 (लेवल-05)	05
4	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0)	रु0 29,800—रु0 94,300 (लेवल-05)	02
5	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	13
6	सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	05
7	सहायक लेखाकार (ब्रिडकुल)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	02

(Handwritten signature)

8	सहायक लेखाकार (निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	230
9	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा-कोषागार)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	13
10	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, नैनीताल-कोषागार)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	12
11	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर-कोषागार)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	05
12	सहायक लेखाकार (निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	03
13	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग-कोषागार)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	03
14	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, चम्पावत-कोषागार)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	02
15	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, बागेश्वर-कोषागार)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	01
16	सहायक लेखाकार (अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	01
17	कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा) (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0)	रु0 27,200—रु0 86,100 (लेवल-04)	05
18	कैशियर कम-सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून)	रु0 25,500—रु0 81,100 (लेवल-04)	01
योग—			379

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय Offline में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

04. पदों का विवरण:— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/



अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

A- पदनाम-

लेखाकार

पदकोड-508/260/79/2026

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लेखाकार (ब्रिडकुल)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	—	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:- रु० 35,400-रु० 1,12,400 (लेवल-06)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. B.Com with MBA (Finance) or B.Com with PGDBA (Finance) or M.Com

And

with appropriate post qualification experience (minimum 5 years) in Govt./Semi Govt./Public Sector/Reputed Ltd. Co.

2. Have served at least 3 years in the relevant post and grade immediately below post applied for.

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम—**सहायक लेखाकार**

पदकोड—536 / 492 / 79 / 2026

कुल पद—75

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						दिव्यांग
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)	अ०जा०	10	03	—	01	01	—	01	(03) LV/PB-01, HH/PD-01, OA/OL-01
		अ०ज०जा०	03	01	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	11	04	—	01	01	—	01	
		आ०क०व०	08	02	—	—	—	—	01	
		अना०	43	13	01	02	02	02	04	
		योग	75	23	01	04	04	02	07	03

(ii) वेतनमान:— ₹ 29,800—₹ 94,300 (लेवल—05)**(iii) आयु सीमा:—** 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।**(iv) पद का स्वरूप:—** अराजपत्रित / स्थाई।**(v) शैक्षिक अर्हता:—****(a) अनिवार्य अर्हता:—**

1. Graduation with 2nd Div in Commerce with Accountancy.
2. Certificate of Competency of working on computers.
3. 4000 Key Depression per hour speed on computer.

C- पदनाम—**सहायक लेखाकार**

पदकोड—504 / 492 / 79 / 2026

कुल पद—05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						दिव्यांग
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक लेखाकार (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०)	अ०जा०	02	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		अना०	02	—	—	—	—	—	—	
		योग	05	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— ₹ 29,800—₹ 94,300 (लेवल—05)**(iii) आयु सीमा:—** 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।**(iv) पद का स्वरूप:—** अराजपत्रित / स्थाई / कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित।


(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी०बी०ए० (Bachelor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

D- पदनाम—

सहायक लेखाकार

पदकोड—524 / 492 / 79 / 2026

कुल पद—02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	02	—	—	—	—	—	—	
		योग	02	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 29,800—रू० 94,300 (लेवल—05)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / स्थाई।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक। कम्प्यूटर में हिन्दी या अंग्रेजी टंकण में दक्षता 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा आवश्यक है।



E- पदनाम—**सहायक लेखाकार**

पदकोड—820 / 493 / 79 / 2026

कुल पद—13

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्)	अ०जा०	03	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	01	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	01	—	—	—	—	—	
		अना०	08	01	—	—	—	—	—	
		योग	13	03	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 29,200—रू० 92,300 (लेवल—05)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में ओ—लेवल का डिप्लोमा।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

F- पदनाम—**सहायक लेखाकार / कनिष्ठ सम्परीक्षक**

पदकोड—808 / 494 / 79 / 2026

कुल पद—05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक लेखाकार / कनिष्ठ सम्परीक्षक (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	04	01	—	—	—	—	—	
		योग	05	01	—	—	—	—	—	—

- (ii) वेतनमान:- ₹0 29,200-₹0 92,300 (लेवल-05)
 (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
 (v) शैक्षिक अर्हता:-
 (a) अनिवार्य अर्हता:-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी तथा हिन्दी में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

G- पदनाम-

सहायक लेखाकार

पदकोड-508/493/79/2026

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक लेखाकार (ब्रिडकुल)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	02	—	—	—	—	—	—	—

- (ii) वेतनमान:- ₹0 29,800-₹0 94,300 (लेवल-05)
 (iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी।
 (v) शैक्षिक अर्हता:-
 (a) अनिवार्य अर्हता:-

1. B.Com And
2. Minimum 3 years experience in relevant field.

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

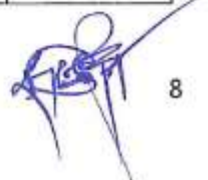
H- पदनाम—

सहायक लेखाकार

कुल पद—270

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							दिखांग
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	मृतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	468/493/79/2026	सहायक लेखाकार (निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	43	13	01	02	—	02	04	(09) LV/PB-02, HH/PD-02, OA-01, OL-01, LC-01, DW-01, AAV/AV-01	09
			अ०ज०जा०	10	03	—	—	—	—	01		
			अ०पि०व०	34	07	—	01	—	01	02		
			आ०क०व०	24	08	—	01	—	01	02		
			अना०	119	36	03	06	06	04	12		
			योग	230	67	04	10	06	08	21		
2	151/493/79/2026	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा-कोषागार)	अ०जा०	04	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			अना०	07	02	—	—	—	—	01		
			योग	13	03	—	—	—	—	01		
3	157/493/79/2026	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, नैनीताल-कोषागार)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	02	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	02	—	—	—	—	—	—		
			अना०	05	01	—	—	—	—	01		
			योग	12	02	—	—	—	—	01		
4	162/493/79/2026	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर-कोषागार)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			अना०	01	01	—	—	—	—	—		
			योग	05	02	—	—	—	—	—		
5	640/493/79/2026	सहायक लेखाकार (निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			अना०	02	—	—	—	—	—	—		
			योग	03	01	—	—	—	—	—		



6	160/493/79/2026	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग- कोषागार)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		
			अना0	02	01	—	—	—	—	—		
			योग	03	01	—	—	—	—	—	—	—
7	154/493/79/2026	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, चम्पावत- कोषागार)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	02	—	—	—	—	—	—	—	—
8	152/493/79/2026	सहायक लेखाकार (जिलाधिकारी, बागेश्वर- कोषागार)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—
9	446/493/79/2026	सहायक लेखाकार (अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—
योग				270	76	04	10	06	08	23	09	

(ii) वेतनमान:- रू0 29,200—रू0 92,300 (लेवल-05)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त/एन0पी0एस0 युक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor In Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

I- पदनाम—**कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा)**

पदकोड—504 / 239 / 79 / 2026

कुल पद—05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						दिव्यांग
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा) (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	05	02	—	—	—	—	—	
		योग	05	02	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 27,200—रू० 86,100 (लेवल—04)**(iii) आयु सीमा:—** 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।**(iv) पद का स्वरूप:—** अराजपत्रित / स्थाई / कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित।**(v) शैक्षिक अर्हता:—****(a) अनिवार्य अर्हता:—**

- हिन्दी देवनागरी लिपि के वृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- कम्प्यूटर पर हिन्दी में न्यूनतम 6000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा / सर्टिफिकेट।

J- पदनाम—**कैशियर कम सहायक लेखाकार**

पदकोड—045 / 114 / 79 / 2026

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						दिव्यांग
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कैशियर कम सहायक लेखाकार (उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—



(ii) वेतनमान:- रू0 25,500—रू0 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/एन0पी0एस0।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. B.Com or equivalent from recognized university/institute of repute.

2. Knowledge of accounts keeping petty cash book and Accounting.

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

05. लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया-

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घण्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-01 का अवलोकन करें।

(ii) अनारक्षित व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(iii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट), परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iv) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(v) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(viii) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(x) ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

06. **अधिमान:-** लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा (अन्य बातों के समान होने पर 4(b) के अनुसार) तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. **आयु:-**

उपरोक्त पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2026 है।

i सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2008 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

ii अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

08. **आवेदन हेतु पात्रता:-**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:-

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।



परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

09. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा अभिलेख सन्निरीक्षा के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।



परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

12. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

14. आरक्षण:-

- i. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 15.08.2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत E.W.S. प्रमाण पत्र, जो



वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करते हों।

- iv. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यायन अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
- vii. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सकीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सन्निरीक्षा समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सन्निरीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या- 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 145/XXXVI(3)/2026/30(1)/2026 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में

 15

नियुक्त/नियोजन प्राप्त कर लेगा, तो इसके पश्चात उसे पूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त आरक्षण का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा।

- ix. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- x. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।
- xi. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- WP-PIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।

शासनादेश संख्या: 139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं पत्र संख्या:-172/xxxvi(3)/2025/13(1)/2025, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो या राज्य स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:-

क्र० स०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

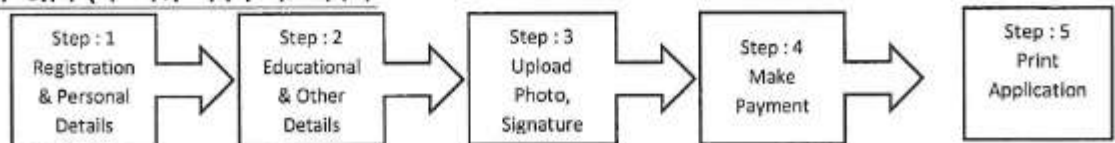
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
6	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ/विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- xiii.** कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।
- xiv.** ऑनलाइन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण, श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या: 48/XVIIA-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून, 2023 द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पुनर्चिन्हांकित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।
- xv.** यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट:- अभ्यर्थी आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च), 3, 3(क), 3(ख) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण-पत्र तैयार करवायें।

15. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण:



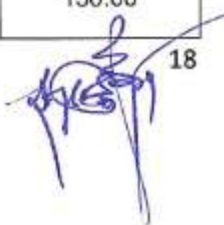
[Handwritten Signature]

- i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करना होगा। एक आधार का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को स्वयं के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यूके0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
- v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px), हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) और बायोमेट्रिक पुष्टि हेतु स्पष्टतः बाएं हाथ के अंगूठे का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanavog@gmail.com पर ई-मेल करें।
- viii. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
- ix. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- x. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xi. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्ट-आउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्क:-

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रु0)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00

 18

03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

- (1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (3) अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा। गलत भरे गये आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- (4) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (F.I.R.) भी दर्ज कराया जाएगा।
- (5) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अन्तिम रूप से चयन के उपरांत अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (6) लिखित परीक्षा के पश्चात अभिलेख सन्निरीक्षा परीक्षा का अनिवार्य अंग है, जिसमें सभी आरक्षण/शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता/अनुभव संबंधी दावे/अभिलेखों की पुष्टि की जाती है। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेख सन्निरीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त पृथक अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेंगी। अभिलेख सन्निरीक्षा में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- (7) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन (Edit) का अवसर प्रदान किया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी को अपने नाम, माता/पिता के नाम, आयु एवं परीक्षा केन्द्र में संशोधन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि के अक्षरों अथवा अंकों में आंशिक परिवर्तन कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरे जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- (8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमत्त नहीं होगा।
- (9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।
- (10) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।
- (12) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (13) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सही नाम अंकित न करने के परिणामस्वरूप जारी त्रुटिपूर्ण प्रवेश-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।
- (14) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति सूची, अभिलेख सन्निरीक्षा के समय तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (15) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे।
- (16) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (17) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी औपबंधिक उत्तर-कुंजियों के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50/-प्रति प्रश्न की दर से अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।



- (18) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (19) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से वरीयता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (20) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023 /10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के तत्समय लागू प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (21) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
- | | | |
|---------|---|--------------------------|
| अ0जा0 | — | अनुसूचित जाति |
| अ0ज0जा0 | — | अनुसूचित जनजाति |
| अ0पि0व0 | — | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| अ0क0व0 | — | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| अना0 | — | अनारक्षित |


(एन0 एस0 डुगरियाल),
सचिव।

परिशिष्ट - 1

परीक्षा पाठ्यक्रम

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (सहायक लेखाकार) सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना:- प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा-

1. लिखित परीक्षा-केवल एक प्रश्न पत्र सम्बन्धित विषय (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
2. टंकण परीक्षा (अर्हकारी)।

1. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)-

विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय (घण्टे)
वाणिज्य, व्यापार प्रशासन, अकाउंटेंसी	100	100	2

2. टंकण परीक्षा (अर्हकारी Qualifying)



परीक्षा नियंत्रक
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



(जसवंत सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सार्वजनिक अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

प्रमाणित है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम
सही है

EXAMINATION SYLLABUS

Examination Scheme/Syllabus for Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Assistant Accountant) Service Exam

Plan of Examination- There will be following tiers of the examinations:-

1. Written Exam- Only One Paper of Related Subject (Objective Type)
2. Typing Test (Qualifying)

1. Written Exam (Objective Type)

Subject	Total Number of Questions	Maximum Marks	Time (Hours)
Commerce, Business Administration, Accountancy	100	100	2

2. Typing Test (Qualifying).



दीक्षा निदेशक
गणित सेवा वयन आर
देहरादून



सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



(जसवंत सिंह चौहान)
अनुमान अधिकारी
कार्तिक एवं सतर्कता अनुमान-4
उत्तराखण्ड शासन

कैशियर कम सहायक लेखाकार / कनिष्ठ सम्प्रेक्षक हेतु पाठ्यक्रम

अधिकतम अंक : 100

इकाई - I

वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन और लागत लेखांकन

- वित्तीय लेखांकन: लेखांकन का अर्थ और क्षेत्र, लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन समीकरण, परंपराएँ और अभिधारणाएँ, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, लेखा मानकों का बुनियादी ज्ञान, बुनियादी लेखांकन शब्दावली और जीएसटी, पूंजी और आयगत व्यय की अवधारणा। लेखांकन प्रक्रिया - जर्नल, लेजर, सहायक पुस्तकें, तलपट और बुटियों का सुधार। बैंक समाधान विवरण, मूल्यहास लेखांकन, प्रावधान और रिजर्व, विनिमय बिल, एकल व्यापारी के अंतिम खातों की तैयारी-समायोजनों के साथ, गैर-लाभकारी संगठनों का लेखांकन। साझेदारी खाते - प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु और विघटन। शेयरों का निर्गमन, हरण, पुनःनिर्गमन और विमोचन, डिबेंचर का निर्गमन और विमोचन, बोनस शेयरों का निर्गमन, स्टॉक विभाजन और शेयरों की पुनर्खरीद। लेखांकन में समकालीन मुद्दे और नवीनतम प्रवृत्तियाँ।
- कंप्यूटरीकृत लेखांकन: कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का अवलोकन, डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली में लेखांकन का उपयोग, लेखांकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग और प्रबंधकीय निर्णय हेतु विभिन्न इन्वेंटरी रिपोर्टों का निर्माण। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इनपुट और आउटपुट उपकरण, मेमोरी: प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, एम एस ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पॉवरपॉइंट।
- लागत लेखांकन: लागत लेखांकन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और लाभ। लागत की अवधारणाएँ और वर्गीकरण, लागत के तत्व - सामग्री, श्रम और ओवरहेड। लागत निर्धारण की विधियाँ - इकाई, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट (ठेका), प्रक्रिया और परिचालन लागत। ओवरहेड का वर्गीकरण, आवंटन और अवशोषण। वेतन भुगतान की विधियाँ और मजदूरी प्रोत्साहन की योजनाएँ। स्कंध नियंत्रण, लागत और वित्तीय खातों का समाधान, सीमांत लागत और लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण, लागत नियंत्रण और लागत में कमी।

इकाई - II

वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय विवरण विश्लेषण

- वित्तीय प्रबंधन: वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व। वित्तीय कार्य, पूंजीकरण और पूंजी संरचना के सिद्धांत, पूंजी की लागत, निवेश निर्णय, वित्तपोषण निर्णय और लाभार्थ निर्णय, कार्यशील पूंजी प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में समकालीन मुद्दे और नवीन प्रवृत्तियाँ।







- **वित्तीय विवरण विश्लेषण:** कंपनी के वित्तीय विवरण: वित्तीय विवरण का अर्थ, प्रकृति, उपयोग और महत्व। लाभ-हानि विवरण और बैलेंस शीट निर्धारित प्रारूप में प्रमुख शीर्षकों और उप-शीर्षकों सहित (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, नवीनतम संशोधनों सहित)। वित्तीय विवरण विश्लेषण की विधियाँ: तुलनात्मक विवरण, समान आकार विवरण, अनुपात विश्लेषण: अर्थ, उद्देश्य, लाभ, वर्गीकरण और विभिन्न लेखांकन अनुपातों की गणना। कोष प्रवाह और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण।

इकाई - III

मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय बाजार

- **मुद्रा और बैंकिंग:** मुद्रा का अर्थ, कार्य, महत्व और प्रकार; नोटों के निर्गम की विभिन्न विधियाँ तथा भारत में उनके कार्यान्वयन का विशेष संदर्भ। मुद्रास्फीति और अपस्फीति। बैंकिंग की परिभाषा, वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार और कार्य, ई-बैंकिंग और डिजिटल भुगतान। भारतीय रिज़र्व बैंक - कार्य, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के उपकरण, स्वतंत्रता के बाद की मौद्रिक नीति की विशेषताएँ, साख नियंत्रण का आलोचनात्मक अध्ययन। मुद्रा और बैंकिंग में समकालीन मुद्दे और हाल की प्रवृत्तियाँ।
- **वित्तीय बाजार:** मुद्रा और पूंजी बाजार की अवधारणा, प्राथमिक और द्वितीयक वित्तीय बाजार। स्टॉक एक्सचेंज - कार्य और व्यापार प्रक्रिया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) - उद्देश्य और कार्य। वित्तीय बाजारों में समकालीन मुद्दे और हाल की प्रवृत्तियाँ।

इकाई - IV

व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक प्रबंधन और व्यापार

- **व्यावसायिक संगठन:** व्यावसायिक संगठन का विकास और मूलभूत सिद्धांत, व्यावसायिक संगठन के रूप, सार्वजनिक, निजी और वैश्विक उद्यम, व्यावसायिक सेवाएँ, व्यवसाय के उभरते रूप, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता, लघु व्यवसाय और उद्यम।
- **व्यावसायिक प्रबंधन:** अर्थ, विकास, प्रकृति और महत्व। प्रबंधन के सिद्धांत और प्रक्रिया। प्रबंधन के कार्य - योजना, निर्णय-निर्धारण, संगठनात्मक संरचना, स्टाफिंग, निर्देशन, प्रेरणा और नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण और संचार: अर्थ, प्रकार, प्रक्रिया और बाधाएँ।
- **आंतरिक व्यापार:** अर्थ और प्रकार, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ, खुदरा व्यापार के प्रकार।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:** अवधारणा और लाभ, निर्यात व्यापार - अर्थ और प्रक्रिया, आयात व्यापार - अर्थ और प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त दस्तावेज: मांग-पत्र, साख पत्र, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल। विश्व व्यापार संगठन (WTO) - अर्थ और उद्देश्य। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक प्रबंधन और व्यापार के समकालीन मुद्दे और हाल की प्रवृत्तियाँ।

Signature

Signature

Signature

इकाई - V

व्यावसायिक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी

- **व्यावसायिक अर्थशास्त्र** : अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और कार्यप्रणाली, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। उपयोगिता का मापन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समान-सीमांत उपयोगिता का नियम, मांग अनुसूची और वक्र, मांग की लोच, आपूर्ति की लोच। मांग की लोच और आपूर्ति की लोच का मापन, उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता संतुलन-उदासीनता वक्र विश्लेषण। उत्पादन फलन और कारकों का प्रतिफल। उत्पादन लागत की अवधारणाएँ, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्र। विनिमय सिद्धांत, बाजार के रूप और संतुलन और पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, आर्थिक विकास और वृद्धि की अवधारणा। राष्ट्रीय और राज्य आय का संकल्पनात्मक अवलोकन। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का अवलोकन।
- **सांख्यिकी**: सांख्यिकी की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और सीमाएँ। सांख्यिकीय अन्वेषण : सांख्यिकीय अन्वेषण की योजना, प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह की विधियाँ। नमूनाकरण के सिद्धांत और विधियाँ, वर्गीकरण और सारणीकरण की विधियाँ, डेटा का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण और व्याख्या। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप- विभिन्न औसत: उपयोग, गणना और सीमाएँ - अंकगणितीय माध्य, माध्यिका, बहुलक, हार्मोनिक माध्य और ज्यामितीय माध्य। अपकिरण और विषमता- विभिन्न उपाय, सहसम्बन्ध- सरल सहसम्बन्ध. स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन सहसम्बन्ध, स्पीयरमैन रैंक सहसम्बन्ध। सूचकांक संख्या, केंद्र और उत्तराखंड के सांख्यिकीय संगठन। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में समकालीन मुद्दे।

इकाई - VI

विपणन प्रबंधन और व्यावसायिक वातावरण

- **विपणन प्रबंधन**: विपणन की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, विपणन अवधारणाएँ, विपणन मिश्रण, विपणन वातावरण, उपभोक्ता व्यवहार, मार्केटिंग सेगमेंटेशन। उत्पाद वर्गीकरण, उत्पाद मिश्रण की संकल्पना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, उत्पाद जीवन चक्र, मूल्य निर्धारण, उत्पाद की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, मूल्य नीतियाँ, वितरण चैनल, प्रचार के प्रकार, विपणन प्रबंधन के समकालीन मुद्दे।
- **व्यावसायिक वातावरण**: अवधारणा और महत्व। व्यावसायिक वातावरण के आयाम - आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और कानूनी। विमुद्रीकरण की अवधारणा और विशेषताएँ, एलपीजी नीतियाँ का मूल्यांकन। उपभोक्ता संरक्षण: अवधारणा एवं महत्व। व्यावसायिक वातावरण के समकालीन मुद्दे।

इकाई - VII

अंकेक्षण, कराधान और व्यापारिक सन्निधिम

- **अंकेक्षण**: अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और तकनीक। अंकेक्षण का वर्गीकरण, अंकेक्षण योजना, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जाँच और आंतरिक अंकेक्षण। अंकेक्षण प्रक्रिया - वाउचिंग और

परिसंपत्तियों व देनदारियों का सत्यापन। कंपनी अंकेक्षक की योग्यता, नियुक्ति, अयोग्यता, निष्कासन, पारिश्रमिक, अधिकार और कर्तव्य। अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकार। लागत अंकेक्षण, कर अंकेक्षण और प्रबंधन अंकेक्षण की विशेष विशेषताएँ। अंकेक्षण में वर्तमान प्रवृत्तियाँ।

आयकर: मूल अवधारणाएँ और महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, निवास स्थिति और कर देयता, कृषि आय, कर मुक्त आय, आय के विभिन्न शीर्षक, हानियों का समायोजन और आगे ले जाना। आय का संयोजन, सकल कुल आय से कटौतियाँ और छूट, एक व्यक्ति की कुल कर योग्य आय और कर देयता की गणना, टीडीएस और टीसीएस, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना। आयकर के वर्तमान नवीनतम पहलू।

- वस्तु एवं सेवा कर (GST): अर्थ और संरचना - CGST, SGST, UTGST और IGST। पंजीकरण की प्रक्रिया, कर योग्य घटना, आपूर्ति का समय और स्थान, जीएसटी की गणना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई-वे बिल, टीडीएस/टीसीएस और रिटर्न। वस्तु एवं सेवा कर के वर्तमान नवीनतम पहलू।
- व्यापारिक सन्निधयः भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, कंपनी अधिनियम 2013, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। (नवीनतम संशोधनों के अनुसार सभी अधिनियम)

"वर्तमान सामान्य ज्ञान तथा वाणिज्य और व्यापार से संबंधित नवीनतम संशोधन उपरोक्त सभी इकाइयों में सम्मिलित माने जायेगा।"



प्रकाश नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



(जसवंत सिंह चौहान)
अनुमान अधिकारी
कार्मिक एवं सार्वजनिक अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

(3/3)

**Syllabus for the Post of Accountant/Assistant Accountant/Office Assistant III
(Accounts)/Cashier cum Assistant Accountant/Kanishth Samparikshak**

Maximum Marks :100

Unit -I

Financial Accounting, Computerised Accounting and Cost Accounting

Financial accounting : Meaning and Scope of Accounting, Accounting Principles, Accounting Equation, Conventions and Postulates, Double Entry System, Basic knowledge of Accounting Standards, Basic Accounting Terminologies and GST, Concept of Capital and Revenue Expenditure. Accounting Process- Journal, Ledger, Subsidiary Books, Trial Balance and Rectification of Errors. Bank Reconciliation Statement, Depreciation Accounting, Provisions and Reserves, Bills of Exchange, Preparation of Final Accounts of Sole Trader with Adjustments, Accounting for Non-Profit Organizations. Partnership Accounts-Admission, Retirement, Death and Dissolution. Issue, Forfeiture, Re-issue and Redemption of Shares, Issue and Redemption of Debentures, Issue of Bonus Shares, Stock Splits and Buy Back of Shares. Contemporary issues and recent trends in Accounting.

Computerised Accounting: An Overview of Computerized Accounting System and Accounting usage in Data Base Management System, Use of Computer Software in Accounting and generating various inventory reports for managerial decision making. Basic knowledge of Computers, Devices: Input and Output devices. Memory: Primary, Secondary and auxiliary memory. Operating system. Internet. MS Office Word, Excel and PowerPoint.

Cost Accounting: Meaning, Nature, Scope, Objective and Advantages of Cost Accounting, Cost Concepts and Classification, Elements of Cost- Material, Labour and Overhead, Methods of Costing- Unit, Job, Contract, Process and Operating Costing; Classification, Allocation, Appropriation and Absorption of Overheads. Methods of Wage Payment & Incentive Schemes of wages. Inventory Control, Reconciliation of Cost and Financial Accounts, Marginal Costing and Cost-Volume-Profit Analysis, Cost Control and Cost Reduction.

Unit -II

Financial Management and Financial Statement Analysis

Financial Management: Nature, Scope, Objectives and Significance of Financial Management, Finance Functions, Capitalization and Theories of Capital Structure, Cost of Capital, Investment Decisions, Financing Decisions and Dividend Decisions, Working Capital Management, Contemporary issues and recent trends in Financial Management.

Financial Statement Analysis : Financial Statements of a Company: Meaning, Nature, Uses and importance of financial statement. Statement of Profit and Loss and Balance Sheet in prescribed form with major headings and sub headings (as per Schedule III to the Companies Act, 2013) with latest amendments. Methods of Financial Statement Analysis, Comparative statements common size statements, Ratio analysis: Meaning, Objectives, Advantages, classification and computation of various accounting ratios, Funds Flow and Cash Flow Analysis.

Unit III

Money, Banking and Financial Markets

Money and Banking: Meaning, Functions, Importance and Kinds of Money, various methods of Issue of Notes with particular reference to their working in India; Inflation and Deflation. Definition of Banking, Types and Function of Commercial Banks; e-banking and digital payments. RBI- Functions, Instruments of Monetary and Fiscal Policy, Main features of

Monetary Policy since Independence; Critical study of Credit Control. Contemporary issues and recent trends in Money and Banking.

Financial Markets: Concepts of Money and Capital market, primary and secondary financial markets. Stock Exchange-Functions and trading procedure. Securities and Exchange Board of India (SEBI) - objectives and functions, Contemporary issues and recent trends of financial markets.

Unit IV

Business Organization, Business Management and Trade

Business Organization: Evolution and Fundamentals of Business, Forms of Business organizations, Public, Private and Global Enterprises, Business Services, Emerging Modes of Business, Social Responsibility of Business and Business Ethics, Small Business and Enterprises.

Business Management: Meaning, evolution, nature, significance. Principles and process of Management. Functions of Management- Planning, Decision-Making, Organizational Structure, Staffing, , Directing, Motivation and Leadership, Coordination, Controlling, and Communication- Meaning, Types, Process and Barriers.

Internal Trade: Meaning and types, services rendered by a wholesaler and a retailer, Types of retail trade.

International Business: Concept and benefits, Export trade-Meaning and procedure, Import Trade - Meaning and Procedure, Documents involved in International Trade: Indent, Letter of credit, shipping order, shipping bills. World Trade Organization (WTO)- Meaning and Objectives. Balance of Trade and Balance of Payments.

Contemporary issues, recent trends in Business Organization, Management and Trade.

Unit V

Business Economics and Statistics

Business Economics: Definition, Nature, Scope and Methodology of Economics, Micro and Macro Economics. Measurements of Utility, Law of Diminishing Marginal Utility, Law of Equi-Marginal Utility, Demand Schedule and Curves, Elasticity of Demand, Methods of Measurement of Elasticity of Demand and Elasticity of Supply, Consumer's Surplus, Consumer's Equilibrium- Indifference Curve Analysis. Production function and returns to factor, Concepts of Cost of Production, SAC, LAC Curves, Theory of Exchange, Forms of markets and market equilibrium under perfect competition, Concept of Economic Growth and Development. Conceptual overview of the National and State Income. An overview of Economy of Uttarakhand.

Statistics: Nature, Scope, Importance and Limitations of Statistics, Statistical Investigation: Planning a Statistical Investigation, Methods of Collecting Primary and Secondary Data, Principles and Methods of Sampling. Methods of Classification and Tabulation, Graphical Presentation of Data and its Interpretation. Measures of Central Tendency- Uses, Limitation and Calculations of various Averages: Arithmetic Mean, Median, Mode, Harmonic Mean and Geometric Mean, Dispersion and Skewness: Various Measures; Correlation: Simple Correlation, Scatter Diagram, Karl Pearson's Correlation, Spearman's Rank Correlation. Index Number, Statistical Organizations of Centre and Uttarakhand.

Contemporary Issues in Business Economics and Statistics.

Unit VI

Marketing Management and Business Environment

Marketing Management: Nature, scope and Importance of marketing, Marketing concepts, Marketing Mix, Marketing Environment, Consumer Behaviour, Marketing Segmentation. Product Classification, Concept of product mix, Branding, Packaging, Labelling, Product life

cycle, Pricing, Factors affecting price of a product, Pricing policies, Distribution channels, Promotion and its types, Contemporary issues in Marketing Management.
Business Environment-Concept and importance, Dimensions of Business Environment Economic, Social, Technological, Political and Legal. Demonetization- concept and features, appraisal of LPG Policies, Contemporary issues in Business Environment.

Unit VII

Auditing, Taxation and Business Laws

Auditing: Meaning, Objectives, Basic Principles and Techniques of Auditing, Classification of Audit, Audit Planning, Internal Control, Internal Check and Internal Audit, Audit Procedure: Vouching and Verification of Assets and Liabilities; Qualification, Appointment, Disqualification, Removal, Remuneration, Rights and Duties of a Company Auditor, Types of Auditors Report, Special features of Cost Audit, Tax Audit and Management Audit, Recent trends in auditing.

Income Tax: Basic Concepts and Important Definitions, Residential Status and Tax Liability, Agriculture Income, Exempted Incomes, Different heads of Income, Set-off and Carry Forward of Losses, Clubbing of Incomes, Deductions from Gross Total Income and Rebates, Computation of Total Taxable Income and Tax Liability of an Individual, TDS and TCS, Online filing of return. Contemporary issues in Income Tax.

Goods and Services Tax: Meaning and Structure of GST including CGST, SGST, UTGST and IGST, Procedure of Registration, Taxable Event, Time and Place of Supply, Computation of GST, Input Tax Credit and E-way Bill, TDS/TCS and Returns, Contemporary Issues in GST.

Business Laws: Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act 1930, The Partnership Act 1932, Negotiable Instrument Act 1881, Information Technology Act 2000, Companies Act 2013, Consumer Protection Act, 2019. (All Acts with respect to latest amendments)

*Current general knowledge and latest amendments in commerce and trade related to all the above units is deemed to be included.

उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय

नगरपालिका, देहरादून

द्वारा

प्रमाणित

कक्षा/विभाग

संख्या

दिनांक

उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय

नगरपालिका, देहरादून

द्वारा

प्रमाणित

कक्षा/विभाग

संख्या

दिनांक



परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



(जसवंत सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सार्वजनिक अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)
आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 में अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में
सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(च)
निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या:-.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिह्न.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉल्लिज)

- i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
- iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
- iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)
- vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्ल्यू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

- i. बी. - अंधता
- ii. पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी. - बधिर
- ii. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ii. पी.पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iv. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vii. एस.टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| viii. डब्लू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ix. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्लू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-03

शासनादेश संख्या 374(1)/xxx(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश:-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomotor disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया, (दानों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रस्त है तथा इसके अतिरिक्त बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में श्रुतलेखक (Scribe) की अनुमति इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से लिखने में अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए श्रुतलेखक (Scribe) आवश्यक है। इस हेतु देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सा/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) हेतु दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-3(क) की प्रति, श्रुतलेखक (Scribe) से संबंधित परिशिष्ट-3(ख) की प्रति एवं श्रुतलेखक (Scribe) की दो आवक्ष फोटो, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात श्रुतलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र की प्रति के साथ परिशिष्ट-3(क) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
3. श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।
4. दिव्यांग अभ्यर्थी की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्न-पत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
5. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट-3(क)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that; I have examined Mr./Ms./Mr.
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability),
S/o/D/o a resident of
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which
hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government
Health care institution.

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability
(e.g. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic
specialist/PMR)**

परिशिष्ट-3(ख)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No. at (name of the Centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is
In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date: